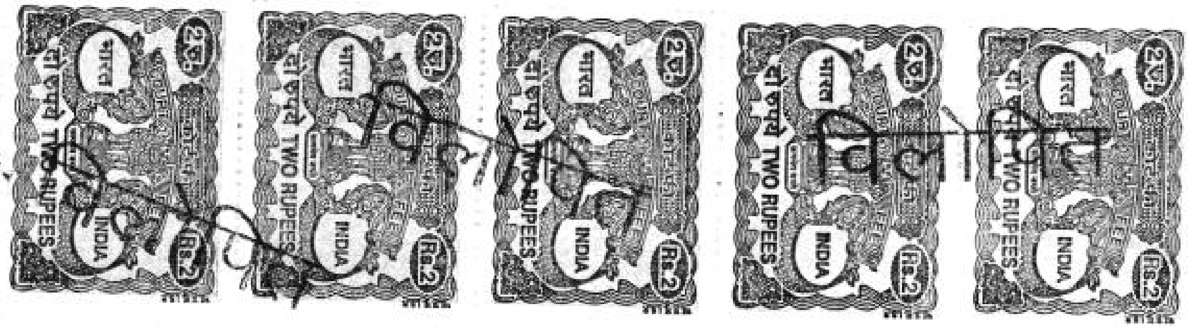

निगरानी 938-III-15

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

3

प्रकरण कमांक /2014—15/निगरानी

मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री सतीश चन्द्र शर्मा आयु 43 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम सतनबाडा, खुर्द तहसील व जिला शिवपुरी हाल निवासी सुनार गली, शिवपुरी जिला शिवपुरी (म0प्र0)

—— आवेदक

श्री एच.पी. कुशवाह एड.
द्वारा आज दि 30-4-15 को
प्रस्तुत
30-4-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी

—— रिस्पोन्डेन्ट

(H.P. Kushwah) Adv
30/4/15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांकी 28—3—1992 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी प्रकरण कमांक 61/91—92/नि0स्व0 वउनवान मध्य प्रदेश शासन आदि मनीष कुमार

भिभावकों
ताक्षर

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 938—तीन / 15 **जिला** शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4—6—2015 [redacted] 5 [redacted]	आवेदक की ओर से श्री एच.पी. कुशवाह, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । कलेक्टर, शिवपुरी के आदेश दिनांक 28—3—92 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र चार—3 की कंडिका 30 ''क'' के अन्तर्गत स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है । राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः प्रथम दृष्टया इस निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	